

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य दिनांक 25.08.2024

शाहजहाँपुर एस.ओ.जी. टीम एवं थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अवैध रूप से चल रही पटाखा/सुतली बम फैक्ट्री का किया गया भण्डाफोड़, निर्मित एवं अर्धनिर्मित पटाखों, विस्फोटक सामग्री सहित करीब 5.00 लाख रुपये के पटाखे व कच्चा माल बरामद एवं 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट निर्देशन एवं श्रीमती सौम्या पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आगामी दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ एवं पटाखों के निर्माण, भण्डारण एवं विक्री से होने वाली जन हानि की रोकथाम हेतु कार्यवाही के अनुक्रम में एस0ओ0जी0 टीम एवं थाना सदर बाजार पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी ।

संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 25.08.2024 को एस0ओ0जी0 टीम एवं थाना सदर बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत मो0 बाडूजई प्रथम में अभियुक्त अरबाब खाँ पुत्र स्व0 जुबैर उर्फ जुगन खाँ, निवासीगण मो0 बाडूजई प्रथम, जनपद शाहजहाँपुर के मकान तथा मो0 ककरा कला स्थित इनके गोदाम पर छापा मारकर अवैध रूप से चल रही पटाखा/सुतली बम फैक्ट्री का भण्डाफोड़ किया गया है । मौके से निर्मित एवं अर्धनिर्मित पटाखे, सुतली बम एवं पटाखा बनाने में प्रयोग होने वाली विस्फोटक सामग्री बरामद करते हुए कुल 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है । बरामदगी व गिरफ्तारी का विवरण नीचे किया गया है। इस घटना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 588/24 धारा 288/61(1) बी.एन.एस. 5/9B विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है । उपरोक्त घटना में सम्मिलित अभि0 अरबाब खाँ व जब्बार खाँ को 02 वर्ष पूर्व भी अवैध पटाखे बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:

1. अरबाब खाँ पुत्र स्व0 जुबैर खाँ, निवासीगण मो0 बाडूजई प्रथम, जनपद शाहजहाँपुर उम्र लगभग 40 वर्ष
2. जब्बार खाँ पुत्र स्व0 जुबैर खाँ, निवासीगण मो0 बाडूजई प्रथम, जनपद शाहजहाँपुर उम्र लगभग 30 वर्ष
3. जमाल उर्फ जमालुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी मोहल्ला चौक आला खाँ, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 32 वर्ष
4. एक विधि विरुद्ध बालक

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

1-अरबाब खाँ पुत्र स्व0 जुबैर खाँ, निवासीगण मो0 बाडूजई प्रथम, जनपद शाहजहाँपुर

- (1) मु0अ0सं0 983/22 धारा 286 भादवि व 5/9B विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना सदर बाजार
- (2) मु0अ0सं0 588/24 धारा 288/61(1) बी.एन.एस. 5/9B विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना सदर बाजार

2-जब्बार खाँ पुत्र स्व0 जुबैर खाँ, निवासीगण मो0 बाडूजई प्रथम, जनपद शाहजहाँपुर

- (1) मु0अ0सं0 983/22 धारा 286 भादवि व 5/9B विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना सदर बाजार
- (2) मु0अ0सं0 588/24 धारा 288/61(1) बी.एन.एस. 5/9B विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना सदर बाजार

बरामदगी का विवरण:-

1. सुतली बम वजन 70 किलो,
2. फूलझड़ी 04 पैकेट(करीब 60 किग्रा.),
3. मिर्ची बम 04 पैकेट,
4. समोसा बम 100 पैकेट,
5. फ्यूज रंग सफेद 12 बण्डल, फ्यू
6. ज रंग लाल 14 बण्डल,
7. पाउडर-99(रंग स्लेटी) 10 किग्रा.,
8. गन्धक(पोटाश रंग पीला) – 34 किग्रा.,
9. डिब्बा रैपर-100 बण्डल,
10. पैकिंग सड़सी-02 अदद,
11. इलेक्ट्रानिक तराजू 01 अदद,
12. मैनुअल तराजू 01 अदद,
13. बेरियम पाउडर(रंग सफेद) 350 किग्रा. व
14. सुतली 04 गड्ढर आदि सामग्री बरामद की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. निरीक्षक श्री रितेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी एस0ओ0जी0 शाहजहाँपुर

एस0ओ0जी0

2. हे0कां 369 सुशील शर्मा,
3. हे0का0 हैदर अली,
4. हे0का0 रामसंजीवन
5. का0 कमल सिंह
6. हे0का0 उदरवीर सिंह
7. हे0का0 दिलीप कुमार
8. हे0कां0 457 खालिद हुसैन

सर्विलांस सेल

1. का0 शिवम कुमार
2. का0 प्रभात कुमार

पुलिस टीम थाना सदर बाजार

1. निरीक्षक श्री रविन्द्र सिंह

2. उ०नि० रणजीत बहादुर सिंह,

4. उ०नि० प्रशिक्षु श्री ललित शर्मा

6. उ०नि० प्रशिक्षु श्री गौरव कुमार शर्मा,

8. म०का० 329 शशिबाला,

9. का० 2156 अंकित नैन,

11. का० 2101 कुलदीप कुमार, थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।

3. उ०नि० श्री सुनील कुमार मौर्य

5. उ०नि० प्रशिक्षु श्री शिवम अग्रवाल

7. महिला उ०नि० प्रशिक्षु काजल पवार,

9. म०का० 445 आरजू चौधरी

10. का० 2196 जसविन्दर सि